रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

25 MAY 19

सं० 86] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1973/चैत्र 22, 1895

No. 86] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1973/CHAITRA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th April 1973

No. 16-ETC(PN)/73.—Reference Export (Control) Eighth Amendment Order, 1973, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 12th April, 1973.

2. It has been decided that export of Marine Products—canned and frozen products and frog legs (not covered by entry No. 22(a) and 22 (b) of Part A of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968), Dried Prawns, Sharkfins, Fishmaws, Bombay Ducks and other dried fish products will be licensed freely against firm order/contracts with pre-fixed prices and *not* on consignment basis with immediate effect.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

संख्या 16–ई टी सी (पी एन)/73.—भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1973 के सन्दर्भ में।

2. यह निश्चय किया गया है कि समुद्री उत्पाद—जिब्बा बन्द तथा जमाए हुए उत्पाद और मेंढ़क की टांगें (जो अनुसूची 1 के भाग 'ए' की प्रविष्टि 22 (ए) तथा (बी) के अन्तर शामिल नहीं हैं) सूखे हुए झींगे, शार्कपंख, मछली उदर, बम्बईया बतख तथा अन्य सूखी मछली के उत्पाद के निर्यात को शीघ्र ही पूर्व निर्धारित कीमतों पर पक्के आदेश/संविदाओं के मद्दे अनुमित किया जाएगा और न कि परेषण के आधार पर।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1979